



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241589
CG-DL-E-02012023-241589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5943]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944

No. 5943]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 2022

का.आ. 6188(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती रिंग रोड (प्रथम चरण) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिला, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से अनुसूची स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिले में रिंग रोड (प्रथम चरण) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सक्षम प्राधिकारी/विशेष	राष्ट्रीय राजमार्ग	उत्तर प्रदेश	बस्ती	बस्ती सदर	1 अन्डवा

राजेश गुप्ता, निदेशक